न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/73/2021	2021/176	08.10.2021	20.01.2025

1. नारायणसिंह पुत्र हीरालाल जाति अहीर निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज०।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र हीरालाल जाति अहीर,
2. कमलादेवी पत्नी रामप्रताप जाति अहीर,
3. तुलसीराम पुत्र रामप्रताप जाति अहीर निवासीयान ग्राम गोपालपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।
4. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर राज0।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ दिनांक 13.04.2017 जिसके द्वारा विवादित आराजी का बंटवारा आदेश गलत तौर पर जारी किया गया, बमुराद मनुसखी उक्त आदेश एवं स्वीकार किये जाने अपील अपीलान्ट।

उपस्थितः—

01. श्री रामेश्वर दयाल —वकील अपीलाण्ट
02. श्री अजीत कुमार यादव —वकील रेस्पो. सं. 1
03. श्री दीपक मीणा (राजकीय अभिभाषक) —वकील रेस्पोडेन्ट सं. 4

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के आदेश दिनांक 13.04.2017 जिसके द्वारा विवादित आराजी का बंटवारा आदेश से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि पक्षकारान एक ही परिवार के हैं, जिन्होने अपनी आराजी का सहमति से कब्जे के अनुसार बटवारा करना तय कर लिया तथा बंटवारा में सभी पक्षकारान को समान हिस्सा मिलना तय किया था। रेस्पाडेन्ट सं. 1 जो कि परिवार का कर्ताधर्ता है, उसने विभाजन पत्र पटवारी हल्का से मिलकर तैयार करने की जिम्मेदारी ले ली तथा उसने बताया कि विभाजन पत्र पर हस्ताक्षर कर दो तथा पटवारी हल्का इसमें पक्षकारान के कब्जे व हिस्से के अनुसार हिस्सा दर्ज कर देगा। चूँकि रेस्पा० सं. 1 अपीलान्ट का बडा भाई था तथा कर्ताखानदान था। जिस स्थिति में अपीलान्ट ने उसके विश्वास पर हस्ताक्षर कर दिये बाद में रेस्पा. सं.1 ने पटवारी हल्का से मिलकर आराजी का जो बटवारानामा तैयार किया उसमें रेस्पाडेन्ट सं. 1 के हिस्से में अधिक आराजी दर्ज कर दी तथा तहसीलदार लक्ष्मनगढ ने उसी अनुसार आदेश पारित कर दिया। अब दिनांक 30.07.2020 को रेस्पाडेन्ट ने अपीलान्ट को धमकी दी कि उसके हिस्से में अधिक आराजी है तथा वह उसी अनुसार आराजी पर कब्जा करेगा जिस पर अपीलान्ट ने अपने मिलने वाले व मोजीज व्यक्तियों को इक्टठा किया, किन्तु रेस्पाडेन्ट सं. 1 ने मानने से इंकार कर दिया अपीलान्ट ने अदालत मातहत के कार्यालय में जाकर दिनांक 10.08.2020 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 17.08.2020 को प्राप्त हो गई। इस प्रकार जानकारी की तारीख 30.07.2020 से अपील अंदर मियाद

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पेश है। आदेश दिनांक 13.04.2017 से जानकारी की तारीख दिनांक 30.07.2020 तक का समय उक्त स्थिति में धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत माफ किया जाना आवश्यक है जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश है। अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून, खिलाफ मौका व खिलाफ रिकार्ड है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

आराजी खसरा नम्बर 73, 77, 359, 318, 176, 21, 127, 128, 462, 53, 64, 294, 295, 457, 452, 461, 119 वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर में स्थित है, जिस आराजी में अपीलान्ट. व रेस्पाडेन्ट सं. 1 का समान भाग यानि 1/3–1/3 हिस्सा है तथा रेस्पाडेन्ट 2 व 3 का समान भाग 1/3 हिस्सा है। उक्त आराजी में अपीलान्ट व रेस्पाडेन्टान को बराबर रकबा मिलना था किन्तु रेस्पा० सं.1 ने पटवारी हल्का से मिलकर अपने नाम अधिक रकबा दर्ज करा लिया। रेस्पाडेन्ट सं. 1 के हिस्से में 14 बीघा 7 बिस्वा एवं अपीलान्ट के हिस्से में 11 बीघा 5 बिस्वा एवं रेस्पाडेन्ट सं. 2 व 3 के हिस्से में 11 बीघा 9 बिस्वा आराजी दर्ज कराया है। उक्त उक्त प्रकार उक्त आराजी का समान बंटवारा नहीं हुआ है।

कानूनन सहकाश्तकारान को बंटवारे के समय सभी हिस्सेदारान को समान हिस्सा मिलना चाहिए। पक्षकारान ने आपसी तौर पर समान हिस्सा दर्ज कराने हेतु बंटवारा किया जाना तय किया था किन्तु रेस्पाडेन्ट सं. 1 ने परिवार का बडा होने का नाजायज फायदा उठाते हुए अपने नाम अधिक भूमि दर्ज करा ली जो कानूनन उचित नहीं है। जिस स्थिति में अदालत मातहत का निर्णय विधि अनुरूप नही होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत ने पक्षकारान को कम या अधिक आराजी दिये जाने का कोई आधार भी दर्ज नही किया है। जिस स्थिति में अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

पटवारी हल्का ने बटवारानामा का फार्म दिनांक 10.04.2017 को भरा है तथा अदालत मातहत ने निर्णय दिनांक 13.04.2017 को पारित किया है। अदालत मातहत ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को नही सुना तथा बिना अपीलान्ट को सुने निर्णय पारित किया है। जो निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब लक्ष्मनगढ जिला अलवर का निर्णय दिनांक 13.04.2017 निरस्त फरमाया जावे तथा अदालत मातहत को आदेश दिया जावे कि वो पक्षकारान को सुनकर पुनः समान रूप से भूमि का विभाजन करें। आपकी अति कृपा होगी। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन एवं रिकॉर्ड का मिलान किया गया। पक्षकारान राधेश्याम, नारायणसिंह, तुलसी एवं कमला देवी द्वारा आपसी सहमति के आधार पर विभाजन हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.04.2017 को तहसीलदार लक्ष्मणगढ के यहां प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा भू0अ0नि0 एवं पटवारी हल्का लीली की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 13.04.2017 को प्रस्तुत विभाजन पत्र को स्वीकार किया गया। विभाजन पत्र एवं जमाबंदी संवत 2071–74 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आराजी का विभाजन सहमति/विभाजन पत्र के आधार पर नियमानुसार बराबर हिस्सों में किया गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत विभाजन आदेश दिनांक 13.04.2017 को पारित किया गया है, जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

6निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)